



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 20 मार्च, 2026 ई०

फाल्गुन 29, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

न्याय अनुभाग-1

संख्या- 115/XXXVI-A-1/2026-105/2012

देहरादून, 20 मार्च, 2026

“शुद्धि पत्र”

प० आ०-12

मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से वादों की पैरवी करने हेतु विधि अधिकारियों की आबद्धता/पदनाम उच्चिकृत करने संबंधी अधिसूचना सं०- 108/XXXVI-A-1/2026-105/2012, दिनांक 18.03.2026 के प्रस्तर-1 की तालिका के क्र०सं०-2 पर अंकित विधि अधिकारी श्री राजीव सिंह बिष्ट, सहायक शासकीय अधिवक्ता को उप महाधिवक्ता (क्रि०) के पद पर उच्चिकृत किया गया है, जो कि टंकण त्रुटिवश उप महाधिवक्ता (सिविल) के स्थान पर उप महाधिवक्ता (क्रि०) अंकित हो गया है। अतः उक्त पदनाम उप महाधिवक्ता (क्रि०) को उप महाधिवक्ता (सिविल) पढ़ा जाय।

2- उक्त अधिसूचना दिनांक 18.03.2026 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

अमित कुमार सिरौही,

प्रमुख सचिव।